गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ....71........
दिनांक ...6.1.1.2022....

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः–प.35(4)गृह–9/2017 पार्ट–2 जयपुर दिनांकः– 31-12-2021

–:परामर्शदात्रीः–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.11.2021 व परामर्शदात्री दिनांक 15.12.2021 के क्रम में यह परामर्श दिया जाता है कि दूरसंचार अस्थाई सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के अन्तर्गत दूरसंचार सेवाओं का अस्थाई रूप से निलम्बन किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त अवधि के लिये ही दुरसंचार सेवाओं का अस्थायी रूप से निलम्बन किया जायें परन्तु ब्रॉडबैंड सेवाओ (लैंडलाईन फोन के साथ प्रदत इन्टरनेट सेवा) का निलम्बन नही किया जाये।

प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित करने वाली संस्थाओं को यह परामर्श दिया जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाएँ राजपत्रित अवकाश के दिन ही आयोजित किये जाने को प्राथमिकता प्रदान की जाये।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय, संचार भवन, 20 अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी.), राजस्थान जयपुर।
5. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव राजस्थान अधिनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड।
7. संभागीय आयुक्त जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर/बीकानेर को प्रेषित कर अनुरोध है कि, उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अगर कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उसे जनसामान्य के लिये सार्वजनिक किये जाने के लिये अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
9. महानिरीक्षक पुलिस रैन्ज।
10. समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–6) को प्रेषित कर अनुरोध है कि, इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव, गृह

6/1/2022